

186

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल , सर्किट कोर्ट , रोवा, जिला

रोवा ३म०५०४



११३

राजाराम ,

R-150 - III / 2012

१२४

लालजा,

१३४

बहुआराम , तीनों के पिता स्व० बालगोविन्द , सर्वा

तनधासी- ग्राम चिनगो , तह० चितरंगो, जिला-सिंगरौली

३म०५०४

----- आदेशकमग

बनाम

हरगोविन्द तनय रामाकातर वैश्वार , नि० ग्राम चिनगो

तह० चितरंगी, जिला- सिंगरौली ३म०५०४ ---अना०

निगरानी विरुद्ध आदेश न्याया० अपर आयुक्त

रोवा संभाग रोवा द्वारा प्रक० क्र०- 49/निग०

95-96 , पारित आदेश दि० 27-12-11 .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०५०४/रा०

1959 ई० ।

महोदय,

:: निगरानी के आधार ::

११४

यह कि विधान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य

आदेश विधि प्राकृषा एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से

अपास्त किए जाने योग्य है ।

१२४

यह कि विधायित आ० नं० 84/2 , 85/1, 94/5 , 95/1

Handwritten notes: 7-12

Handwritten notes: 19-1-12

Handwritten notes: 19-1-12

Handwritten mark

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.150-III/12

जिला-सिंगरौली

राजाराम वगैरः/हरगोविन्द वैसवार

(1)	(2)	(3)
24.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">M/A हरगोविन्द वैसवार 24/5/17</p>

K